भारत सरकार
कल्याण मंत्रालय
.....

भारत में अध्ययन हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना- छात्रवृत्ति को शासित करने वाले विनियम

(1 अक्तूबर, 1995 से लागू)

1. उद्देश्य:-

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी करने में समर्थ हो सकें।

2. क्षेत्र :-

ये छात्रवृत्तियां केवल भारत में अध्ययन करने के लिए ही दी जाती हैं और ये उस राज्य/संघ के शासन द्वारा दी जाती हैं, आवेदक जिसका वास्तविक निवासी हो अर्थात् जहां वह स्थायी रूप से रहने लगा हो।

3. पात्रता की शर्तें :-

(एक) ये छात्रवृत्तियां भारत के राष्ट्रकों को दी जाती हैं।

(दो) ये छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़ मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिये दी जाएंगी :

" विमान अनुरक्षण इंजीनियर का पाठ्यक्रम तथाअखातकीय विमानचालक लायसेन्स पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण जलयान डफरिन(अब राजेन्द्र) के पाठ्यक्रम, सैनिक महाविद्यालय, देहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के पाठ्यक्रमों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के शिल्प पाठ्यक्रमों जैसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती"।

(तीन) केवल वे ही उम्मीदवार, जो राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों हों तथा जो वहां वस्तुत: निवास करते हों अर्थात् जो वहां स्थायी रूप से बस गये हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मंडल की मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, इसके पात्र होंगे।

(चार) ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें, उदाहरणार्थ-इन्टरसाइन्स के बाद इन्टर आर्टस करने लगे या बी. ए॰ के बाद बी.कॉम करने लगे या एक विषय में एम. ए. करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम.ए. करने लगे उसके पात्र नहीं होंगे।